न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 274/2016/223 आर टी ए

पोकरराम पुत्र गंगाराम जाति रेगर निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. रामलाल पुत्र गंगाराम जाति रेगर निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर रावतसर प्रकरण सं. 157/2009 अनवानी रामलाल बनाम पोकरराम आदि

उपस्थित :–

श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–27.06.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए प्रस्तुत किया कि चक 9 केडब्ल्यूडी की भूमि रेस्पो0 सं. 1 व अपीलांट की संयुक्त खाता की खरीदशुदा भूमि है जिसका खरीद की दिनांक से बाहमी बंटवारा कर लिया था व उसी अनुसार अलग अलग कब्जा काश्त कर ली थी व भूमि का खाता विभाजन का अनुतोष चाहा। अपीलांट ने उपस्थित आकर वाद का विरोध किया तथा कथन किया कि वादी ने अन्य बंटवारा का तो सही अंकन किया है परन्तु चक 9 केडब्ल्यूडी प.न .150/410 कि.न. 18 मे स्वयं का कब्जा व बंटवारा 0.151 है0 बताया है जो गलत है। विचारण न्याालय द्वारा उक्त तथ्यों की बिना कोई जांच किये वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों पर कोई गौर नही किया जिसमे वादी/रेस्पो0 रामलाल ने दिनांक 12.08.08 को स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया कि बाहमी बंटवारा मे उसे 9 बीघा व प्रतिवादी/अपीलांट को 9.10 बीघा भूमि व विवादित कि.न. 18 मे अपना आधा हिस्सा बताया है परन्तु विचारण न्यायालय मे उक्त तथ्य को आने के बावजूद बिना कोई रिपोर्ट मंगवाये या बिना कमीश्नर नियुक्त किये केवल मात्र रेस्पो0 सं. 1 के मौखिक कथनो पर विश्वास कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपने जवाबदावा की मद सं. 8 मे स्पष्ट अंकन किया था कि अपीलांट के बाहमी बंटवारा मे कुछ हल्की भूमि होने के रेस्पो0 ने सहमति से 9.10 बीघा भूमि दी थी व इसी अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं वादी को अच्छी किस्म की 9 बीघा भूमि बंटवारा मे प्राप्त हुई थी जिस पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। रेस्पो0 ने बंटवारा मे प्राप्त भूमि को जब समतल व उपजाउ बना लिया तो वादी/रेस्पो0 के मन मे बंदयति आ गई और पारिवारिक बंटवारा का अपने कब्जा को इन्कार कर अपने धारण मे विवादित कि.न. 18 मे अपना 0.151 है0 हिस्सा वाद मे अंकित कर दिया व अपीलांट/प्रतिवादी का 102 है0 हिस्सा अंकित कर दिया जबकि मौका पर आज भी वादी/रेस्पो0 ने अपने कब्जा काश्त व बाहमी बंटवारा मे प्राप्त भूमि पर अपनी तारबंदी कर रखी है। जिसमे कि.न. 18 पर रेस्पो0 का 0.126 है0 भूमि पर ही कब्जा है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के इस कथन पर बिना कोई जांच करवाये व बिना तहसील रिपोर्ट लिये मात्र रेस्पो0/वादी के वादपत्र मे अंकित तथ्यों को बिना किसी साक्ष्य के मानकर वाद डिक्री कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 9 केडब्ल्यूडी मे 19 बीघा भूमि है जो दोनो भाईयों अपीलांट व रेस्पो0 की खरीदी हुई है। उक्त भूमि दोनो का आधा आधा हिस्सा तथा आधी आधी काश्त करते है। रेस्पो0 के कब्जा काश्त मे कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13 कि.न. 18 मे 0.10 बीघा भूमि है। दोनो भाईयों को 9½–9½ बीघा भूमि आती है। अपीलांट का यह तर्क कि अपीलांट को 9.10 बीघा आती है, कतई गलत है। वादग्रस्त भूमि का अच्छी मंदी के हिसाब से बाहमी बंटवारा किया हुआ है। रेस्पो0 द्वारा बाहमी बंटवारा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर विभाजन का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया गया। जबकि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन किया गया था कि वादी ने अन्य बंटवारा का तो सही अंकन किया है परन्तु चक 9 केडब्ल्यूडी प.न .150/410 कि.न. 18 मे स्वयं का कब्जा व बंटवारा 0.151 है0 बताया है जो गलत है। इस प्रकार अपीलांट/प्रतिवादी वादपत्र मे वर्णित समस्त तथ्यों से सहमत नही था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद मे बिना सहमति/राजीनामा होते हुए बिना प्राथमिक डिक्री जारी किये सीधे ही अन्तिम डिक्री किया गया। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे राजस्थान काश्तकारी

(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री जारी कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 26.07.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official